कार्यालय प्रभागीय निदेशक सामाजिक वानिकी वन प्रभाग,मथुरा ।

पत्रांक 2933 /14-1 मथुरा, दिनांक 08/02/ .2020.

सेवा में,

अधिशासी अभियन्ता,
प्रान्तीय खण्ड, लोक निर्माण विभाग,
मथुरा ।

विषय :- मा0 मुख्यमंत्री जी की घोषणा के अन्तर्गत मथुरा में कोसी–नन्दगांव–बरसाना–गोवर्धन मार्ग से कोकिला वन तक मार्ग के चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण हेतु 09537 हे0 आरक्षित वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं बाधक 22 वृक्षों के पातन की अनुमति के सम्बन्ध में ।

सन्दर्भ :- विशेष सचिव, उ0प्र0शासन, वन एवं वन्य जीव अनुभाग–2, उ0प्र0,लखनऊ की पत्र संख्या–पी–142/14–2–2016–800(138)/2016 दिनांक 14.10.2016 तथा इस कार्यालय की पत्र संख्या–4525/14–1, दिनांक 26.06.2019 एवं विशेष सचिव, उ0प्र0शासन, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन अनुभाग–2 की पत्र संख्या–भा0स0–08/81–2–2020–800 (138)/2016, दिनांक 31.01.2020 तथा मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, उ0प्र0, लखनऊ की पत्र संख्या–1577/मथुरा/19772/2016 दिनांक 05.02कृ2020 तथा इस कार्यालय का पत्रांक 2897/14–1, दिनांक 05.02.2020.

महोदय,

उपरोक्त विषयक संदर्भित पत्रों के कम में आपको अवगत कराना है कि मा0 मुख्यमंत्री जी की घोषणा के अन्तर्गत मथुरा में कोसी–नन्दगांव–बरसाना–गोवर्धन मार्ग से कोकिला वन तक मार्ग के चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण हेतु 09537 हे0 आरक्षित वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं बाधक 22 वृक्षों के पातन की अनुमति के सम्बन्ध में सैद्धान्तिक स्वीकृति की निम्नलिखित बिन्दुओं पर धनराशि जमा करने के उपरान्त बिन्दुवार अनुपालन रिपोर्ट उपलब्ध कराने का कष्ट करें ।

क0सं0	सैद्धान्तिक स्वीकृति शर्त संख्या	सैद्धान्तिक स्वीकृति के कम में मांग पत्र
1.	प्रस्तावक विभाग द्वारा मा0 उच्चतम न्यायालय के रिट पिटीशन (सि0) 202/1995 के अन्तर्गत आई0ए0सं0–566 एवं भारत सरकार के पत्र सं0–5–3/2007–एफ.सी. दिनांक 5.2.2009 के तहत दिये गये आदेशानुसार शुद्ध वर्तमान मूल्य एनपीवी क्षतिपूरक वृक्षारोपण एवं अन्य अनुमन्य देयक प्रतिपूर्ति पौधारोपण निधि प्रबन्धन तथा योजना प्राधिकरण (Compensatory Afforestation Fune Management and Planing Authority) में वन विभाग के माध्यम से जमा की जायेगी ।	बिन्दु सं0–1 के अनुपालन में मा0 उच्चतम न्यायालय की रिट पिटीशन (सि0) 202/1995 के अन्तर्गत आई0ए0सं0–566 एवं भारत सरकार के पत्र सं0– 5–3/2007–एफ.सी. दिनांक 5.2.2009 के तहत दिये गये आदेशानुसार शुद्ध वर्तमान मूल्य एन0पी0वी0 की धनराशि मु0–5,97,020.00 (रू0 पॉच लाख सत्तानवे हजार बीस मात्र) की अप्रश्नगत भूमि हस्तानान्तरण प्रकरण संख्या पर प्रयोक्ता/याचक विभाग के पोर्टल पर स्वयं से चालान जनरेट करते हुए चालान के माध्यम से बैंक में आरटीजीएस/एनईएफटी द्वारा प्रतिपूर्ति पौधारोपण निधि प्रबन्धन तथा योजना में जमा कर उसकी प्रमाणित प्रति इस कार्यालय में उपलब्ध करावें ।
2.	प्रस्तावक विभाग द्वारा दी गयी वचनवद्धता के कम मं प्रभावित वन भूमि के समतुल्य गैर वन भूमि वन विभाग के पक्ष में उपलब्ध कराया जायेगा एवं प्रस्तावक के व्यय पर वन विभाग द्वारा समतुल्य गैर वन भूमि पर वृक्षारोपण एवं 10 वर्षो तक रखरखाव किया जायेगा ।	प्रयोक्ता अभिकरण अधिशासी अभियन्ता, प्रान्तीय खण्ड, लोक निर्माण विभाग, मथुरा के द्वारा शर्त सं0–2 के अनुपालन में ग्राम पंचायत मादौर में खसरा सं0–2866व में समतुल्य वन भूमि उपलब्ध कराकर राजस्व अभिलेखों में वन विभाग के नाम दर्ज करा दी गई है जिसकी प्रमाणित प्रति संलग्न–2 है तथा उस भूमि पर अग्रिम मृदा कार्य, वृक्षारोपण तथा 10 वर्षो के अनुरक्षण हेतु देय मु0–10,04,900.00 (रू0 दस लाख चार हजार नौ सौ मात्र) की धनरशि प्रश्नगत भूमि हस्तानान्तरण प्रकरण संख्या पर प्रयोक्ता/ याचक विभाग के पोर्टल पर स्वयं से चालान जनरेट करते हुए चालान के माध्यम से जमा कर उसकी प्रमाणित प्रति इस कार्यालय में उपलब्ध करावें ।
3.	प्रस्तावक के व्यय पर चौड़ीकरण के उपरान्त अवशेष संरक्षित वन भूमि पर रोपण एवं 10 वर्षो तक रखरखाव किया जायेगा ।	चौड़ीकरण के उपरान्त अवशेष आस पास के रिक्त स्थान पर क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु मु0–35,48,750.00 (रू0 पैतीस लाख अड़तालीस हजार सात सौ पचास मात्र) की धनराशि प्रश्नगत भूमि हस्तानान्तरण प्रकरण संख्या पर प्रयोक्ता/याचक विभाग के पोर्टल पर स्वयं से चालान जनरेट करते हुए चालान के माध्यम से जमा कर उसकी प्रमाणित प्रति इस कार्यालय में उपलब्ध करावें ।

Scanned by CamScanner

4.	उपरोक्त अनुदेशों के अनुसार शुद्ध वर्तमान मूल्य तथा दूसरी सभी निधियां प्रतिपूर्ति पौधारोपण निधि प्रबन्धन तथा योजना प्राधिकरण के तदर्थ निकाय के लेखा संख्या–एस0बी0–25230,कारपोरेशन बैंक (भारत सरकार का उपकम), नई दिल्ली में जमा कराया जायेगा ।	कृपया शुद्ध वर्तमान मूल्य तथा अन्य समस्त वांछित धनराशि प्रतिपूर्ति पौधारोपण निधि प्रबन्धन तथा योजना प्राधिकरण में जमा करायी जायेगी, की अनुपालन/वचनवद्धता प्रमाण पत्र उपलब्ध कराया जाए ।
5.	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा मक डिस्पोजल योजना प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा स्वीकृति कराकर भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय के क्षेत्रीय कार्यालय को प्रेषित की जायेगी एवं प्रयोक्ता अभिकरण इसके लिए धनराशि उपलब्ध करायेगा।	उक्त शर्त के अनुपालन में मक डिस्पोजल योजना बनाकर प्रस्तुत करें ताकि उसे स्वीकृत करते हुए धनराशि की मांगी की जा सके ।
6.	वन भूमि के वैधानिक स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं होगा ।	प्रश्नगत प्रकरण में प्रभावित आरक्षित वनभूमि की वैधानिक स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं किया जायेगा । इससे सम्बन्धित वचनवद्धता प्रमाण पत्र उपलब्ध कराया जाए ।
7.	नोडल अधिकारी, उ0प्र0 द्वारा प्रत्येक माह की 5 तारीख तक इस तरह के जारी अनुमति की रिपोर्ट क्षेत्रीय कार्याल, भारत सरकार को प्रेषित करेगें ।	प्रश्नगत प्रकरण में कार्यवाही आपसे अपेक्षित नहीं है ।
8.	प्रस्तावक विभाग परियोजना स्थल के आस–पस के फ्लोरा (वनस्पति) फोना (वन्य जीव) के हानि हेतु जिम्मेदार होगें, अतः प्रस्ताव विभाग फ्लोरा/ फोना के संरक्षण हेतु हर सम्भव उपाय करेंगे ।	प्रश्नगत प्रकरण में परियोजना स्थल के आस–पास के फ्लोरा/फोना (वन्य जीव) के हानि हेतु जिम्मेदार होंगे तथा उनका संरक्षण किया जायेगा, से संबधित वचनवद्धता प्रमाण पत्र उपलब्ध कराया जाय ।
9.	प्रत्यावर्तित वन भूमि का उपयोग किसी भी अन्य प्रयोजन के लिए नहीं किया जायेगा । किसी अन्य प्रयोजन हेतु भूमि का उपयोग वन (संरक्षण) अधिनिम, 1980 का उल्लंघन माना जायेगा । यदि भूमि के उपयोग में कोई परिवर्तन आवश्यक हो, तो नोडल अधिकारी द्वारा क्षेत्रीय कार्यालय, भारत सरकार से अनुरोध किया जायेगा तथा भारत सरकार से अनुमोदन प्राप्त करना होगा ।	प्रस्तावक विभाग इस सम्बन्ध में यह भी वचनवद्धता उपलब्ध करायें कि प्रत्यावर्तित वनभूमि का किसी भी अन्य प्रयोजन के लिए नहीं किया जायेगा । यदि किसी अन्य प्रयोजन हेतु किया जाता है तो वन संरक्षण अधिनियम 1980 के तहत उनके विरूद्ध कार्यवाही की जाए ।
10.	प्रस्ताव विभाग के संबधित अधिकारी/कर्मचारी अथवा ठेकेदार या उक्त व्यक्तियों के अधीन या उनसे सम्बन्धित कोई भी वन सम्पदा को क्षति नहीं पहुँचायेंगे और यदि उक्त व्यक्तियों से वन सम्पदा को कोई क्षति पहुँचती है अथवा पहुँचायी जाती है, तो उसके लिए सम्बन्धित प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा निर्धारित प्रतिकर प्रस्तावक विभाग पर बाध्यकारी होगा।	प्रश्नगत प्रकरण पर यह भी वचनवद्धता उपलब्ध कराई जाए कि विभाग के संबधित अधिकारी/कर्मचारी अथवा ठेकेदार या उक्त व्यक्तियों के अधीन या उनसे सम्बन्धित कोई भी वन सम्पदा को क्षति नहीं पहुँचायेंगे और यदि उक्त व्यक्तियों से वन सम्पदा को कोई क्षति पहुँचती है अथवा पहुँचायी जाती है, तो उसके लिए सम्बन्धित प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा निर्धारित प्रतिकर प्रस्तावक विभाग पर बाध्यकारी होगा ।
11.	उक्त वन भूमि प्रस्तावक विभाग के उपयोग में प्रश्नगत अवधि के अन्दर तब तक रहेगी जब तक कि प्रस्तावक को उसकी उक्त हेतु आवश्यकता रहे । यदि प्रस्तावक को उक्त वनभूमि अथवा उसके किसी भाग की आवश्यकता न रहेगी तो यथास्थिति उक्त वनभूमि अथवा उसका ऐसा भाग जो प्रस्तावक विभाग के लिए आवश्यक न रहे, वन विभाग,उ0प्र0 सरकार को किसी प्रतिकर का भुगतान किये बिना यथास्थिति वापस प्राप्त हो जायेगी ।	यह भी वचनबद्धता उपलब्ध कराई जाएं, की उक्त वन भूमि प्रस्तावक विभाग के उपयोग में प्रश्नगत अवधि के अन्दर तब तक रहेगी जब तक कि प्रस्तावक को उसकी उक्त हेतु आवश्यकता रहे । यदि प्रस्तावक को उक्त वनभूमि अथवा उसके किसी भाग की आवश्यकता न रहेगी तो यथास्थिति उक्त वनभूमि अथवा उसका ऐसा भाग जो प्रस्तावक विभाग के लिए आवश्यक न रहे, वन विभाग,उ0प्र0 सरकार को किसी प्रतिकर का भुगतान किये बिना यथास्थिति वापस प्राप्त हो जायेगी।

Scanned by CamScanner

12.	भारत सरकार के पत्र संख्या–5–3/एफ.सी.(पीटी) दिनांक 19.8.2009 तथा पत्र सं0–जे–11013/41/2006-IA-II(1), दिनांक 02 दिसम्बर 2009 के अनुसार प्रस्तावक विभाग को कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व यह सुनिश्चित करना होगा कि उन्होंने, यदि लागू है तो (if applicable), कार्य प्रारम्भ करने के पूर्व सक्षम स्तर से पर्यावरणीय अनापत्ति/ अनुमोदन तथा वन्य जीव की दृष्टि से स्टैंडिम कमेटी ऑफ नेशनल बोर्ड ऑफ वाइल्ड लाइफ से अनुमोदन अलग–अलग प्राप्त कर लिया गया है ।	यह भी वचनवद्धता उपलब्ध कराई जाए की यदि भारत सरकार के पत्र संख्या–5–3/एफ.सी.(पीटी) दिनांक 19.8.2009 तथा पत्र सं0–जे–11013/41/2006-IA-II(1), दिनांक 02 दिसम्बर 2009 के अनुसार प्रस्तावक विभाग को कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व यह सुनिश्चित करना होगा कि उन्होंने, यदि लागू है तो (if applicable), कार्य प्रारम्भ करने के पूर्व सक्षम स्तर से पर्यावरणीय अनापत्ति/ अनुमोदन तथा वन्य जीव की दृष्टि से स्टैंडिम कमेटी ऑफ नेशनल बोर्ड ऑफ वाइल्ड लाइफ से अनुमोदन अलग–अलग प्राप्त कर लिया गया है ।
13.	उक्त के अतिरिक्त समय–समय पर क्षेत्रीय कार्यालय, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, लखनऊ अथवा राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर दिये गये निर्देशों/शर्तो, जो वनों के संरक्षण, सुरक्षा व विकास के लिए आवश्यक हों, का अनुपालन प्रस्तावक विभाग द्वारा किया जायेगा।	यह भी वचनवद्धता उपलब्ध कराई जाए की उक्त के अतिरिक्त समय–समय पर क्षेत्रीय कार्यालय, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, लखनऊ अथवा राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर दिये गये निर्देशों/शर्तो, जो वनों के संरक्षण, सुरक्षा व विकास के लिए आवश्यक हों, का अनुपालन प्रस्तावक विभाग द्वारा किया जायेगा।
14.	राज्य सरकार द्वारा जारी अनुमति भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय के क्षेत्रीय कायालय के अनुश्रवण के अधीन होंगी	उक्त पर अनुपालन रिपोर्ट की आवश्यकता नहीं है ।
15.	प्रयोक्ता अभिकरण के द्वारा यह अण्डरटेकिंग देना होगा कि यदि इस अवधि की एन0पी0वी0 संशोधित होती है तो बढ़ी हुई धनराशि प्रयोक्ता अभिकरण को जमा करना होगा ।	यह भी वचनद्धता दी जाए की प्रयोक्ता अभिकरण के द्वारा यह अण्डरटेकिंग देना होगा कि यदि इस अवधि की एन0पी0वी0 संशोधित होती है तो बढ़ी हुई धनराशि प्रयोक्ता अभिकरण को जमा करना होगा।
16.	यदि प्रश्नगत भूमि सेन्चुरी/नेशनल पार्क में सम्मिलित है, तो मा0 उच्चतम न्यायालय से अलग से अनुमति प्राप्त करने की कार्यवाही कर ली गयी है ।	यह भी वचनद्धता दी जाए की यदि प्रश्नगत भूमि सेन्चुरी/नेशनल पार्क में सम्मिलित है, तो मा0 उच्चतम न्यायालय से अलग से अनुमति प्राप्त करने की कार्यवाही कर ली गयी है ।
17.	समस्त वैधानिक/प्रशासनिक अनापत्ति प्राप्त करने के उपरान्त ही कार्य प्रारम्भ किया जायेगा ।	यह भी वचनद्धता दी जाए की समस्त वैधानिक/प्रशासनिक अनापत्ति प्राप्त करने के उपरान्त ही कार्य प्रारम्भ किया जायेगा ।
18.	उपरोक्त के अतिरिक्त समय–समय पर केन्द्र सरकार/राज्य सरकार/मा0 न्यायालयों द्वारा दिए गए निर्देशों का अनुपालन प्रस्तावक विभाग द्वारा किया जायेगा ।	यह भी वचनद्धता दी जाए, की उपरोक्त के अतिरिक्त समय–समय पर केन्द्र सरकार/राज्य सरकार/मा0 न्यायालयों द्वारा दिए गए निर्देशों का अनुपालन प्रस्तावक विभाग द्वारा किया जायेगा ।
19.	इस सम्बन्ध में प्रस्तावक विभाग को भारत सरकार द्वारा जारी दिशा–निर्देश दिनांक 13.02.2014 में उल्लिखित समस्त शर्तो का अनुपालन करना होगा।	यह भी वचनद्धता दी जाए, की इस सम्बन्ध में प्रस्तावक विभाग को भारत सरकार द्वारा जारी दिशा–निर्देश दि0–13.02.2014 में उल्लिखित समस्त शर्तो का अनुपालन करना होगा।
20.	पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, नई दिल्ली के पत्रांक–11–9/98–एफ.सी., दिनांक 08.07.2011 में दिये गये दिशा–निर्देशों के अनुसार राज्य सरकार के समक्ष प्राधिकारी द्वारा प्रमाणित किये हुए भू–संदर्भित डिजीटल डाटा/मानचित्र प्रस्तुत करें, जिसमें वन सीमाओं को विशेष डाटा (shp) फाइल में दर्शाया गया है ।	पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, नई दिल्ली के पत्रांक– 11–9/98–एफ.सी., दिनांक 08.07.2011 में दिये गये दिशा–निर्देशों के अनुसार राज्य सरकार के समक्ष प्राधिकारी द्वारा प्रमाणित किये हुए भू–संदर्भित डिजीटल डाटा/मानचित्र प्रस्तुत करें, जिसमें वन सीमाओं को विशेष डाटा (shp) फाइल में दर्शाकर प्रस्तुत किया जाये ।
21.	प्रस्तावित वनभूमि पर स्थित बाधक वृक्षों का पातन सिर्फ उ0प्र0 वन निगम द्वारा किया जायेगा तथा पातन की विभिन्न प्रकिया हेतु प्रस्तावक विभाग द्वारा	यह भी वचनद्धता दी जाए, की प्रस्तावित वनभूमि पर स्थित बाधक वृक्षों का पातन सिर्फ उ0प्र0 वन निगम द्वारा किया जायेगा तथा पातन की विभिन्न प्रकिया हेतु प्रस्तावक विभाग द्वारा कटिंग,फैलिंग, लागिंग एवं ट्रान्सपोर्टेशन चार्जेज वन निगम को भुगतान करना होगा। वृक्षों के

Scanned by CamScanner

	कटिंग,फैलिंग, लागिंग एवं ट्रान्सपोर्टेशन चार्जेज वन निगम को भुगतान करना होगा । वृक्षों के छपान का व्यय प्रस्तावक विभाग द्वारा वन विभाग को प्रदान करना होगा । यह व्यवस्था भारत सरकार के पत्रांक–5–1/2007–एफसी, दिनांक 11.12.2008 में दिये गये निर्देशों के अनुपालन में उल्लिखित है ।	छपान का व्यय प्रस्तावक विभाग द्वारा वन विभाग को प्रदान करना होगा।
22.	प्रयोक्ता अभिकरण वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत संबंधित जिले के जिलाधिकारी का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करेगा कि वनाधिकार अधिनियम के अन्तर्गत प्रस्तावित वन भूमि में कोई भी दावा लम्बित नही है एवं आदिम जनजाति/प्रारम्भिक कृषक समुदाय के हित प्रभावित नहीं होते हैं ।	यह भी वचनद्धता दी जाए, की प्रयोक्ता अभिकरण वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत संबंधित जिले के जिलाधिकारी का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करेगा कि वनाधिकार अधिनियम के अन्तर्गत प्रस्तावित वन भूमि में कोई भी दावा लम्बित नहीं है एवं आदिम जनजाति/प्रारम्भिक कृषक समुदाय के हित प्रभावित नहीं होते हैं ।
23.	भारत सरकार के परिपत्र संख्या–11–98– एफसी, दिनांक 13.2.2014 के शर्त सं0–(xii) के अनुसार प्रश्नगत परियोजना (सम्पर्क मार्ग) की स्वीकृति इस आधार पर की गयी है कि इस मार्ग के विस्तार/सुदृढ़ीकरण अगले 5 वर्ष के भीतर अनुमन्य नहीं होगा ।	यह भी वचनद्धता दी जाए, की भारत सरकार के परिपत्र संख्या–11–98– एफसी, दिनांक 13.2.2014 के शर्त सं0–(xii) के अनुसार प्रश्नगत परियोजना (सम्पर्क मार्ग) की स्वीकृति इस आधार पर की गयी है कि इस मार्ग के विस्तार/सुदृढ़ीकरण अगले 5 वर्ष के भीतर अनुमन्य नहीं होगा ।
24.	उपरोक्तानुसार समस्त शर्तो का अनुपालन प्रस्तावक विभाग द्वारा किये जाने के पश्चात ही विधिवत् स्वीकृति जारी की जायेगी ।	यह भी वचनद्धता दी जाए, की उपरोक्तानुसार समस्त शर्तो का अनुपालन प्रस्तावक विभाग द्वारा किये जाने के पश्चात ही विधिवत् स्वीकृति जारी की जायेगी ।

उक्त के अतिरिक्त प्रश्नगत परियोजना में आपके अधीनस्थ अधिकारी/कर्मचारियों के द्वारा वन संरक्षण अधिनियम, 1980 का उल्लंघन दिनांक 01.02.2019 को करने के कारण क्षेत्रीय वन अधिकारी, कोसी के द्वारा उक्त प्रकरण पर वन अपराध सं0–21/कोसी/2018–19 जारी किया गया है जिसके निस्तारण हेतु देय प्रतिकर की धनराशि जमा करने के उपरान्त वन संरक्षण अधिनियम, 1980 के अन्तर्गत प्रस्ताव स्वीकृति से पूर्व उल्लंघन करने पर भारत सरकार के पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की पत्र संख्या–11–42/2017/एफ0सी0 दिनांक 29.01.2018 के कम में संलग्न विवरण के अनुसार मु0–238808/– (रू0 दो लाख अड़तीस हजार आठ सौ आठ मात्र) की धनराशि प्रश्नगत भूमि हस्तानान्तरण प्रकरण संख्या पर प्रयोक्ता/याचक विभाग के पोर्टल पर स्वयं से चालान जनरेट करते हुए चालान के माध्यम से जमा कर उसकी प्रमाणित प्रति इस कार्यालय में उपलब्ध करावें ।

भवदीय,

(रघु नाथ मिश्रा)
प्रभागीय निदेशक,
सामाजिक वानिकी प्रभाग,मथुरा ।

पत्रांक / दिनांकित ।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1– मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, उत्तर प्रदेश, लखनऊ ।
2– वन संरक्षक, आगरा वृत्त, आगरा ।
3– जिलाधिकारी, मथुरा ।

(रघु नाथ मिश्रा)
प्रभागीय निदेशक,
सामाजिक वानिकी प्रभाग,मथुरा ।

Scanned by CamScanner

मथुरा जनपद मे निर्माणाधीन के०एन०बी०जी० मार्ग से कोकिला वन मार्ग का चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण कार्य मे प्रभावित भूमि 0.9537 है० आस–पास के रिक्त क्षेत्र में क्षतिपूरक वनीकरण की परियोजना

1. रेंज का नाम :– कोसी रेंज
2. स्थल का नाम :– कोकिला वन ब्लाक
3. रोपित पौधो की संख्या :– 200 पौध स्पेशल ट्रीगार्ड में

क्र0सं0	कार्य का विवरण	मात्रा	दर	धनराशि
	अग्रिम मृदा कार्य एवं वृक्षारोपण कार्य			
1	2	3	4	5
1	वृक्षारोपण स्थल पर कटीली झाँडी की साफाई जड़ सहित तथा आस–पास के क्षेत्र में पूर्ण सफाई	4 किमी0	15000.00 प्रति किमी0	60000.00
2	गड्ढों का रेखांकन कार्य	200	0.31	62.00
3	गड्ढे खुदान कार्य करना (60x60x60) से0मी0	200	17.40 प्रति गड्ढा	3480.00
4	गोबर खाद, कीटनाशक दवा आदि मिलाकर गड्ढा भरान कार्य करना	200	1.39 प्रति गड्ढा	278.00
5	गड्ढा में वर्मी कम्पोस्ट खाद डालना 2 कि0ग्रा0 प्रति गड्ढा	200	30.00 प्रति गड्ढा	6000.00
6	कीटनाशक डालना	200	10.00 प्रति गड्ढा	2000.00
7	पौधों का क्रय करना (बोरा पौध)(3 प्रतिशत अतिरिक्त) समस्त ढुलान सहित	206	180	37080.00
8	पौधों का स्थानीय ढुलान तथा रोपण कार्य करना	200	9.98	1996.00
9	टैंकर से सिंचाई कार्य (प्राइवेट ट्रैक्टर	200x18	6.14	22104.00
10	निराई,गुड़ाई कार्य करना	200x6	1.04	1248.00
11	रसायनिक उर्वरक क्रय करना	200	20.00	4000.00
12	ट्रीगार्ड बनवाना (8 फुट ऊँचाई) तथा 30 इंच चौकोर व्यास तथा 2 फुट अतिरिक्त गढ़ाई सहित अनुमानित बजन 70 कि0ग्रा0 x 85.00 प्रति किलो	200	6500.00	1300000.00
13	ट्रीगार्ड का स्थल तक ढुलान	200	300.00	60000.00
14	पत्थरटिंग कार्य करना (लेंग्स प्रति ट्रीगार्ड) (0.15x0.15x0.45)=0.0405 घ0मी0	40.3M³	5500.00 प्रति घ.मी.	221650.00
15	ट्रीगार्ड की प्लेट पर हरा–लाल रंग कर लिखाई करना	200	250.00	50000.00
16	वृक्षारोपण श्रमिक 12 माह	1x26x12	174.00	54288.00
17	वृक्षारोपण बोर्ड की स्थापना	1	8000.00	8000.00
18	वृक्षारोपण से सम्बन्धित फोटोग्राफी का कार्य	0	लगभग	4000.00
19	वृक्षारोपण के निरीक्षण इत्यादि पर व्यय	0	लगभग	15000.00
20	वृक्षारोपण का मा0जनप्रतिनिधि से उदघाटन तथा गोष्ठी इत्यादि पर व्यय	0	लगभग	15000.00
		0	लगभग	73814.00
21	अन्य अदृश्य व्यय योग			1940000.00
	अनुरक्षण प्रथम वर्ष	40	500.00	20000.00
1	उखड़े/क्षतिग्रस्त ट्रीगार्ड की मरम्मत कार्य	40	10.00	400.00
2	गड्ढा खुदान कार्य	42	180.00	7560.00
3	पौध क्रय (बोरा पौध)	40	9.98	399.20
4	पौधारोपण कार्य (बोरा पौध) स्थानीय ढुलान	200x24	6.14	29472.00
5	सिंचाई कार्य	200x6	1.04	1248.00
6	निराई कार्य	1x12x26	174.00	54288.00
7	वृक्षारोपण श्रमिक		L.S.	1632.80
8	अन्य व्यय योग			115000.00
	अनुरक्षण द्वितीय वर्ष	20	500	10000.00
1	उखड़े/क्षतिग्रस्त ट्रीगार्ड की मरम्मत कार्य	20	10	200.00
2	गड्ढा खुदान कार्य			

Scanned by CamScanner

3	पौध क्रय	22	180	3960.00
4	पौध का ढुलान	22	9.94	218.68
5	सिंचाई कार्य	200x24	6.14	29472.00
6	निराई कार्य	200x6	1.04	1248.00
7	वृक्षारोपण श्रमिक	1x12x26	174	54288.00
8	अन्य व्यय	L.S.		992.00
	योग			96000.00
	अनुरक्षण तृतीय वर्ष			
1	सिंचाई कार्य	200x24	6.14	29472.00
2	निराई कार्य	200x6	1.04	1248.00
3	वृक्षारोपण श्रमिक	1x12x26	174	54288.00
4	अन्य व्यय			992.00
	योग			86000.00
	अनुरक्षण चतुर्थ वर्ष			
1	सिंचाई कार्य	200x24	6.14	29472.00
2	निराई कार्य	200x6	1.04	1248.00
3	वृक्षारोपण श्रमिक	1x12x26	174	54288.00
4	अन्य व्यय			992.00
	योग			86000.00
	अनुरक्षण पंचम वर्ष			
1	सिंचाई कार्य	200x24	6.14	29472.00
2	निराई कार्य	200x6	1.04	1248.00
3	वृक्षारोपण श्रमिक	1x12x26	174	54288.00
4	अन्य व्यय			992.00
	योग			86000.00
	अनुरक्षण षष्ठम वर्ष			
1	सिंचाई कार्य	200x24	6.14	29472.00
2	निराई कार्य	200x6	1.04	1248.00
3	वृक्षारोपण श्रमिक	1x12x26	174	54288.00
4	अन्य व्यय			992.00
	योग			86000.00
	अनुरक्षण सप्तम वर्ष			
1	सिंचाई कार्य	200x24	6.14	29472.00
2	निराई कार्य	200x6	1.04	1248.00
3	वृक्षारोपण श्रमिक	1x12x26	174	54288.00
4	अन्य व्यय			992.00
	योग			86000.00
	अनुरक्षण अष्ठम वर्ष			
1	सिंचाई कार्य	200x24	6.14	29472.00
2	निराई कार्य	200x6	1.04	1248.00
3	वृक्षारोपण श्रमिक	1x12x26	174	54288.00
4	अन्य व्यय			992.00
	योग			86000.00
	अनुरक्षण नवम वर्ष			
1	सिंचाई कार्य	200x24	6.14	29472.00
2	निराई कार्य	200x6	1.04	1248.00
3	वृक्षारोपण श्रमिक	1x12x26	174	54288.00
4	अन्य व्यय			992.00
	योग			86000.00
	अनुरक्षण दशम वर्ष			
1	सिंचाई कार्य	200x24	6.14	29472.00
2	निराई कार्य	200x6	1.04	1248.00
3	वृक्षारोपण श्रमिक	1x12x26	174	54288.00
4	अन्य व्यय			992.00
	योग			86000.00

Scanned by CamScanner

सांराश :–

क0सं0	विवरण		धनराशि
1	अग्रिम मृदा कार्य एवं वृक्षारोपण कार्य		1940000.00
2	अनुरक्षण कार्य प्रथम		115000.00
3	अनुरक्षण कार्य द्वितीय		96000.00
4	अनुरक्षण कार्य तृतीय		86000.00
5	अनुरक्षण कार्य चतुर्थ		86000.00
6	अनुरक्षण कार्य पंचम		86000.00
7	अनुरक्षण कार्य षष्ठम		86000.00
8	अनुरक्षण कार्य सप्तम		86000.00
9	अनुरक्षण कार्य अष्ठम		86000.00
10	अनुरक्षण कार्य नवम्		86000.00
11	अनुरक्षण कार्य दशम		86000.00
	कुलयोग		2839000.00
	श्रमिक दरों तथा सामग्री अंश में आगामी दस वर्षो में मूल्य वृद्धि को देखते हुए कुल प्राक्कलन की धनराशि का 25 प्रतिशत अतिरिक्त धनराशि का प्रावधान		709750.00
	कुलयोग		3548750.00

क्षेत्रीय वन अधिकारी,
कोसीकलॉ ।

प्रभागीय निदेशक,
सामाजिक वानिकी प्रभाग,मथुरा ।

Scanned by CamScanner

जनपद मथुरा में मा0 मुख्यमंत्री जी की घोषणा के अन्तर्गत कोसी–नन्दगांव–बरसाना–गोवर्धन मार्ग से कोकिला वन तक मार्ग के चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण में प्रभावित 0.9537 हे0 में आरक्षित वन भूमि के सापेक्ष 0.9537 हे0 समतुल्य भूमि ग्राम पंचायत मादौर के खसरा सं0–2866व में उपलब्ध करायी गई समतुल्य भूमि में क्षतिपूरक वनीकरण योजना का प्राक्कलन

क्र0 सं0	कार्य का विवरण	मात्रा/संख्या	इकाई	दर	धनराशि
	(अग्रिम मृदा कार्य)				
1	2	4	5	6	7
1	क्षेत्र की सफाई करना	0.9537	प्रति हे0	10000	9537
2	सर्वेक्षण व सीमांकन	0.9537	प्रति हे0	48.98	46.712226
3	पक्ति बन्धन	596	प्रति गढ्ढा	0.31	184.76
4	मृदा परीक्षण	0.9537	प्रति हे0	250.00	238.425
5	गढ्ढा खुदान कार्य (0.60x0.60x0.60)	596	प्रति गढ्ढा	17.50	10430
6	तारबाड हेतु सामग्री				
	अ– आर0सी0सी0 खम्भों का मूल्य मय कर सहित (1.5x0.10x0.80मी0)	300	प्रति कु0	404.00	121200.00
	ब– कॉटेदार तार का मूल्य (5 लड़)	10	प्रति कु0	8489.20	84892.00
7	अन्य व्यय				3471.10
				योग:–	230000.00
	(वृक्षारोपण कार्य)				
1	गढ्ढों का भरान	596	प्रति	1.40	834.40
2	गढ्ढों/माउण्डों हेतु मृदा सुधारक/गोबर की खाद का प्रयोग	596	प्रति	9.92	5912.32
3	पौध का मूल्य (3 प्रतिशत अतिरिक्त पौध)	614	प्रति	70.00	42980.00
4	तारबाड कार्य				
	अ– आर0सी0सी0 खम्भों की ग्राउटी 6:3:1 सीमेन्ट कंक्रीट	300	प्रति	196.00	58800.00
	ब– खम्भों का स्थानीय ढुलान	300	प्रति	3.29	987.00
	स– तार की खिंचाई	600	प्रति	0.85	510.00
5	पौधों का ढुलान (3 प्रतिशत अतिरिक्त पौध) 10–20 किमी0	614	प्रति	17.50	10745.00
6	पौधों का स्थानीय ढुलान	596	प्रति	5.94	3540.24
7	पौधारोपण, थाला बनवाई व तुरन्त सिंचाई	596	प्रति	4.90	2920.40
8	निराई, गुड़ाई व मल्चिंग निराई, गुड़ाई 3 बार	596x3	प्रति	1.12	2002.56
9	सिंचाई कार्य नवम्बर से मार्च तक 12 बार	596x12	प्रति	2.89	20669.28
10	रासायनिक उर्वरक, कीटनाशक का प्रयोग मूल्य सहित	0.9537	प्रति	600.00	572.22
11	वृक्षारोपण बोर्ड	1	प्रति	3000	3000.00
12	विभागीय ट्रैक्टर व ट्राली की मरम्मत आदि		अनुमानित	0	1625.00
13	वृक्षारोपण श्रमिक	312	प्रतिदिन	175	54600.00
14	अन्य आदृश्य व्यय	0	अनुमानित	0	2301.58
				योग:–	212000.00
	प्रथम चरण (अनुरक्षण प्रथम 20 प्रतिशत वीटिंग अप)				
1	सिंचाई अप्रैल से जून	477	प्रति	2.89	1378.53
2	वीटिंग अप हेतु गड्ढा खुदान	119	प्रति	17.50	2082.50
3	पौध कय	119	प्रति	70.00	8330.00
4	पौध ढुलान	119	प्रति	17.50	2082.50
5	पौधों का स्थानीय ढुलान	119	प्रति	5.94	706.86

Scanned by CamScanner

6	पौधारोपण	119	प्रति	4.90	583.10
7	निराई कार्य	596x3	प्रति	1.12	2002.56
8	सिंचाई कार्य	596x12	प्रति	2.89	20669.28
9	रासायनिक/उर्वरक खाद	0.9537	प्रति	600.00	572.22
10	तारबाड़ मरम्मत	3000	प्रति मी0	0.55	1650.00
11	कीटनाशक दवा	1	प्रति	600.00	600.00
12	वृक्षारोपण श्रमिक	312	प्रतिदिन	175.00	54600.00
13	अन्य व्यय	0	अनुमानित	0	1742.45
				योग:–	**97000.00**
	द्वितीय चरण (अनुरक्षण द्वितीय 10 प्रतिशत वीटिंग अप)				
1	पौधों की सिंचाई कार्य अप्रेल से जून	536	प्रति	2.89	1549.04
2	असफल गड्ड़ों का खुदान	60	प्रति	17.50	22.72
3	पौध कय	60	प्रति	70.00	704.00
4	पौध ढुलान	60	प्रति	17.50	1050.00
5	पौधों का स्थानीय ढुलान	60	प्रति	5.94	48.30
6	रोपण	60	प्रति	4.90	39.80
7	निराई गुड़ाई	596x3	प्रति	1.12	2002.56
8	सिंचाई अक्टूवर से मार्च	596x12	प्रति	2.89	20669.28
9	तारबाड़ की मरम्मत	3000	प्रति मी0	0.55	1650.00
10	श्रासायनिक/उर्वरक खाद कय	0.9537	प्रति	600	572.22
11	कीटनाशक दवा कय	1	प्रति	600	600.00
12	वृक्षारोपण श्रमिक	312	प्रतिदिन	175.00	54600.00
13	अन्य व्यय	0	अनुमानित	0	1492.08
				योग:–	**85000.00**
	तृतीय चरण अनुरक्षण				
1	पौधों की सिंचाई 12 बार	596x12	प्रति पौध	2.89	20669.28
2	पौधों की निराई गुड़ाई 3 बार	596x3	प्रति पौध	1.12	2002.56
3	अन्य व्यय	0	अनुमानित	0	1328.16
	योग :–				**24000.00**
	चतुर्थ चरण अनुरक्षण				
1	पौधों की सिंचाई 12 बार	596x12	प्रति पौध	2.89	20669.28
2	पौधों की निराई गुड़ाई 3 बार	596x3	प्रति पौध	1.12	2002.56
3	अन्य व्यय	0	अनुमानित	0	1328.16
	योग :–				**24000.00**
	पंचम चरण अनुरक्षण				
1	पौधों की सिंचाई 12 बार	596x12	प्रति पौध	2.89	20669.28
2	पौधों की निराई गुड़ाई 3 बार	596x3	प्रति पौध	1.12	2002.56
3	अन्य व्यय	0	अनुमानित	0	1328.16
	योग :–				**24000.00**
	षष्ठम चरण अनुरक्षण				
1	पौधों की सिंचाई 12 बार	596x12	प्रति पौध	2.89	20669.28
2	पौधों की निराई गुड़ाई 3 बार	596x3	प्रति पौध	1.12	2002.56
3	अन्य व्यय	0	अनुमानित	0	1328.16
	योग :–				**24000.00**
	सप्तम् चरण अनुरक्षण				
1	पौधों की सिंचाई 12 बार	596x12	प्रति पौध	2.89	20669.28
2	पौधों की निराई गुड़ाई 3 बार	596x3	प्रति पौध	1.12	2002.56
3	अन्य व्यय	0	अनुमानित	0	1328.16
	योग :–				**24000.00**

Scanned by CamScanner

	अष्ठम चरण अनुरक्षण				
1	पौधों की सिंचाई 12 बार	596x12	प्रति पौध	2.89	20669.28
2	पौधों की निराई गुड़ाई 3 बार	596x3	प्रति पौध	1.12	2002.56
3	अन्य व्यय	0	अनुमानित	0	1328.16
	योग :–				**24000.00**
	नवम चरण अनुरक्षण)				
1	पौधों की सिचाई 12 बार	596x12	प्रति पौध	2.89	20669.28
2	पौधों की निराई गुड़ाई 3 बार	596x3	प्रति पौध	1.12	2002.56
3	अन्य व्यय	0	अनुमानित	0	1328.16
	योग :–				**24000.00**
	दशम चरण अनुरक्षण				
1	पौधों की सिंचाई 12 बार	596x12	प्रति पौध	2.89	20669.28
2	पौधों की निराई गुड़ाई 3 बार	596x3	प्रति पौध	1.12	2002.56
3	अन्य व्यय	0	अनुमानित	0	1328.16
	योग :–				**24000.00**
	कुलयोग :–				**816000.00**

सारांश

		वतेमान दरों के अनुसार धनराशी	भविष्य में कार्य आरम्भ होने के कारण 10 प्रतिशत प्रतिवर्ष बढ़ोतरी के आधार पर धनराशी
1	अग्रिम मृदा कार्य एवं वृक्षारोपण कार्य	442000.00	442000.00
2	अनुरक्षण कार्य प्रथम	97000.00	116400.00
3	अनुरक्षण कार्य द्वितीय	85000.00	110500.00
4	अनुरक्षण कार्य तृतीय	24000.00	33600.00
5	अनुरक्षण कार्य चतुर्थ	24000.00	36000.00
6	अनुरक्षण कार्य पंचम	24000.00	38400.00
7	अनुरक्षण कार्य षष्ठम	24000.00	40800.00
8	अनुरक्षण कार्य सप्तम	24000.00	43200.00
9	अनुरक्षण कार्य अष्ठम	24000.00	45600.00
10	अनुरक्षण कार्य नवम	24000.00	48000.00
11	अनुरक्षण कार्य दसम	24000.00	50400.00
	योग :–	816000.00	1004900.00
	अथवा :–		1004900.00

नोट :–श्रमिक तथा सामग्री दरों में वृद्धि होने के कारण अपर प्रमुख वन संरक्षक, उ0प्र0, लखनऊ के द्वारा हरित पट्टी पैटर्न वृक्षारोपणों की सीलिंग दरों में वृद्धि तथा आगामी वर्षो की वृद्धि को समायोजित करते हुए याचक विभाग से प्राक्कलन की धनराशि की मांग की जा रही है जो क्षतिपूरक वनीकरण परियोजना हेतु आवश्यक है ।

क्षेत्रीय वन वन अधिकारी
बल्देव।

प्रभागीय निदेशक
सामाजिक वानिकी प्रभाग
मथुरा ।

Scanned by CamScanner

वन संरक्षण अधिनियम 1980 के अन्तर्गत प्रस्ताव स्वीकृति से पूर्व उल्लंघन करने पर भारत सरकार के पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की पत्र सं0–11–42/ 2017/एफ0सी0, दिनांक 29.01.2018 के कम में कार्यवाही का विवरण

प्रमाणित किया जाता है कि विशेष सचिव, उ0प्र0शासन, वन एवं वन्यजीव अनुभाग–2, उ0प्र0, लखनऊ की पत्र संख्या–पी–142/14–2–2016–800(138)/2016, दिनांक 14.10.2016 के द्वारा जनपद मथुरा में कोसी–नन्दगॉव–बरसाना–गोवर्धन मार्ग से कोकिला वन तक मार्ग के चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण हेतु 0.9537 हे0 आरक्षित वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं 22 बाधक वृक्षों के पातन हेतु सैद्धान्तिक स्वीकृति जारी की गई थी । सैद्धान्तिक स्वीकृति के पश्चात् अधिशासी अभियन्ता, प्रान्तीय खण्ड, लोक निर्माण विभाग, मथुरा के द्वारा शर्तो की अनुपालन रिपोर्ट प्रेषित करने से पूर्व प्रभावित आरक्षित वन भूमि पर गैर वानिकी प्रयोग करने पर क्षेत्रीय वन अधिकारी, कोसीकलॉं के द्वारा जारी किए गए वन अपराध संख्या–21/कोसी/2018–19 के पश्चात् वन भूमि हस्तानान्तरण के प्रकरण पर उल्लंघन करने के सम्बन्ध में भारत सरकार के पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की पत्र सं0–11–42/2017/एफ0सी0, दिनांक 29.01.2018 के पैरा–3 के बिन्दु–सी की कैटेगरी में आने के कारण बिन्दुवार की गई कार्यवाही का विवरण :–

<table>
<tr>
<td>i.</td>
<td>In case the offence is proved then the penalty shall be imposed for violation committed over forest area without approval equal to twice the normal NPV.</td>
<td>प्रश्नगत स्थल का निरीक्षण सम्बन्धित स्टाफ के द्वारा दिनांक 01.02. 2019 को करने पर पाया कि याचक विभाग के विशेष सचिव, उ0प्र0शासन, वन एवं वन्यजीव अनुभाग–2, उ0प्र0, लखनऊ की पत्र संख्या–पी–142/14–2–2016–800(138)/2016, दिनांक 14.10.2016 के द्वारा जनपद मथुरा में कोसी–नन्दगॉव–बरसाना–गोवर्धन मार्ग से कोकिला वन तक मार्ग के चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण हेतु 0.9537 हे0 आरक्षित वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं 22 बाधक वृक्षों के पातन हेतु सैद्धान्तिक स्वीकृति जारी की गई थी । सैद्धान्तिक स्वीकृति के पश्चात् अधिशासी अभियन्ता, प्रान्तीय खण्ड, लोक निर्माण विभाग, मथुरा के द्वारा शर्तो की अनुपालन रिपोर्ट प्रेषित करने से पूर्व प्रभावित आरक्षित वन भूमि पर गैर वानिकी प्रयोग कर वन सरक्षण अधिनियम 1980 का उल्लंघन किया गया है । उल्लंघन के फलस्वरूप भारत सरकार के द्वारा पत्र दिनांक 29.01.2018 में दिए गए दिशा निर्देशों के अनुसार धनराशि का निर्धारण निम्न प्रकार है :–
<table>
<tr><td>1.</td><td>प्रकरण में एन0पी0वी0 की ऑकलित धनराशि</td><td>:– 5,97,020.00</td></tr>
<tr><td>2.</td><td>सैद्धान्तिक स्वीकृति जारी हो के उपरान्त अनुपालन रिपोर्ट उपलब्ध न कराने से पूर्व उल्लंघन करने पर दण्ड की धनराशि का ऑकलन रू0–5,97,020X2</td><td>:– 11,94,040.00</td></tr>
</table>
</td>
</tr>
<tr>
<td>ii.</td>
<td>In case of public utility projects of the government the penalty shall be 20% of the penalty proposed in para (i) above.</td>
<td>प्रश्नगत परियोजना राजकीय विभाग की जन उपयोगी है । अतः उक्त परियोजना पर बिन्दु संख्या–(i) में निर्धारित जुर्माने की धनराशि मु0–11,94,040/– का 20 प्रतिशत धनराशि मु0–238808/– (रू0 दो लाख अड़तीस हजार आठ सौ आठ मात्र) निर्धारित की जाती है</td>
</tr>
</table>

(रघु नाथ मिश्रा)
प्रभागीय निदेशक
सामाजिक वानिकी प्रभाग, मथुरा।

प्रभागीय निदेशक
सा0 वा0 वन प्रभाग
मथुरा

Scanned by CamScanner